न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2023/103 **दायरा दिनांक : 04.07.2023**

उनवान

1– सरदारबाई पुत्री कंवरिया, आयु 80 साल, पत्नी सालगराम उर्फ नाथूराम, जाति गूर्जर, निवासी नयागांव, तहसील, अकलेरा, जिला झालावाड़
2– औंकारलाल पुत्र मोतीलाल, जाति गूर्जर, निवासी बावडीखेड़ा, तहसील, अकलेरा, जिला झालावाड़(राज0)
3– रामलाल पुत्र मोतीलाल, जाति गूर्जर, निवासी बावडीखेड़ा, तहसील, अकलेरा, जिला झालावाड़(राज0)
4– इन्द्र सिंह पुत्र मोतीलाल, जाति गूर्जर, निवासी बावड़ीखेड़ा, तहसील, अकलेरा, जिला झालावाड़(राज0)
5– बदाम बाई पुत्री मोतीलाल धर्म पत्नी चन्दन सिंह, जाति गूर्जर, निवासी रतनपुरा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज0)
6– गुलाबबाई पुत्री मोतीलाल पत्नी भगवान सिंह, जाति गूर्जर, निवासी बृजराजपुरा नयागांव, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज0)
7– फूलचन्द वल्द कान्हा, जाति गूर्जर, निवासी बावडीखेड़ा, तहसील, अकलेरा, जिला झालावाड़(राज0)
8– लाल सिंह वल्द कान्हा, जाति गूर्जर, निवासी बावडीखेड़ा, तहसील, अकलेरा, जिला झालावाड़(राज0)
9– घनश्याम वल्द कान्हा, जाति गूर्जर, निवासी बावडीखेड़ा, तहसील, अकलेरा, जिला झालावाड़(राज0)
10– नन्दूबाई पुत्री कान्हा, पत्नी देवीलाल, जाति गूर्जर, निवासी झन्टालिया, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज0)

.... अपीलांट

बनाम

1– सजनबाई उर्फ सज्जन बाई आयु 47 साल पत्नी विवाहिता पूर सिंह, निवासी गांव माचलपुर डूंगरी, तहसील जीरापुर हाल मुकाम मोरक्याकला, तहसील बकानी, जिला झालावाड़ (राज0)
– वाद पत्र के अनुसार बेवा भंवरिया गुर्जर पाटडीखेडा
2– सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा घाटोली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री महेन्द्र कुमार जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 07.05.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 106/वाजदायर/2018 ऑन लाईन प्रकरण संख्या 2015/00072 निर्णय व डिक्री दिनांक 28.03.2023 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादिनी रेस्पोडेंट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम बावडीखेडा पटवार हल्का बिन्दाखेडा, तहसील अकलेरा के माल की नई खतौनी संख्या 58 व पुरानी 66 की खसरा नम्बरान कमशः 23 की 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 97 की 4 बीघा, खसरा नम्बर 179 की 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 180 की 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 181 की 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 253 की 2 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 254 की 02 बिस्वा कुल योग 7 किता की 8 बीघा 15 बिस्वा

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आराजी स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 28.03.2023 से वादनी का वाद डिक्री किया जाकर आदेश दिये कि ग्राम बावडीखेडा पटवार हल्का बिन्दाखेडा, तहसील अकलेरा के माल की नई खतौनी संख्या 58 व पुरानी 66 की खसरा नम्बरान कमशः 23 की 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 97 की 4 बीघा, खसरा नम्बर 179 की 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 180 की 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 181 की 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 253 की 2 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 254 की 02 बिस्वा कुल योग 7 किता की 8 बीघा 15 बिस्वा आराजी में से वादनी को उसके मृतक पति भंवरया बेटा देवा के 1/3 हिस्से की आराजी का खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाता है। वादनी के हिस्से की 1/3 भाग आराजी का विभाजन कर वादनी के पृथक खाते दर्ज करने हेतु तहसीलदार अकलेरा राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन किया जाकर विभाजन पत्र तैयार कर पेश करें। इन्तकाल नम्बर 200 दिनांक 20.12.2012 को वादनी के खातेदारी अधिकारों पर बेअसर घोषित कर निरस्त किया जाता है। वादनी फाईनल डिक्री हेतु नियमानुसार नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश करें, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो एक तरफा आदेश पारित किया वह अवैध और अमान्य है। उक्त बाद डिक्री होने योग्य नहीं था चूंकि सजन बाई उर्फ सज्जन बाई विवाहिता पत्नी थी उसका विवाह माचलपुर डूंगरी, जिला राजगढ हुआ जहां इसका पति मौजूद है। उससे तलाक लिए बिना इसने बेवा भंवरा उर्फ भंवर लाल लिखावाया जो अवैध और अमान्य है। उक्त प्रकरण की अपीलान्ट को प्रोपर तामिल नहीं हुयी और सुनवायी का मौका नहीं देकर एक तरफा निर्णय पारित कर प्राथमिक डिक्री पारित कर निर्णय त्रुटिपूर्ण है। वाद के तथ्य इस प्रकार से है कि वादनी ने जरिये अधिवक्ता धारा 88, 89, 91, 53 आर.टी.एक्ट के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया कि ग्राम बावडीखेडा पटवार हल्का बिन्दाखेडी, तहसील अकलेरा के माल की नई खतोनी संख्या 58 व पुरानी 66 की खसरा नम्बर 23 की रकबा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 97 की 4 बीघा व खसरा नम्बर 179 की 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 180 की 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 181 की 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 253 की 2 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 254 की रकबा 02 बिस्वा कुल योग 7 किता की 8 बीघा 15 बिस्वा आराजी स्थित है। इसमें सजन बाई उर्फ सज्जन बाई ने बेवा भवरियां बेटा देवा के 1/3 हिस्सा आराजी की खातेदार टीनेन्ट घोषित होने का दावा व बंटवारे का अधिकार मांगा जबकि वादनी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 विवाहिता पत्नी माचलपुर डूंगरी, जिला राजगढ की है और इसका पति पूरसिंह मौजूद है बिना उसको तलाक दिये इसे किसी भी प्रकार भवंरिया की आराजी में लाभ पाने का अधिकारी नहीं है। दिनांक 20–12–2012 कार्यालय ग्राम पंचायत बिन्दाखेडा 40 बकानी की रिपोर्ट नामान्तरकरण कोरम के समक्ष पेश हुआ खातेदार भवरियां पुत्र देवा का फौत होना तस्दीक हुआ अर्थात खातेदार में भवरियां ला औलाद ही फौत हुआ मृतक खातेदार भंवरिया के स्थान पर सगे भाइयों के वर्तमान फूलचन्द तथा मोती लाल सरदार बाई पिता कंवरिया के नाम हिस्सा बराबर दर्ज करने की सम्मति से स्वीकृति दी जाती है। मद नम्बर–6 की इन्तकाल की किसी प्रकार की अपील रेस्पोडेन्ट नम्बर–1 द्वारा नहीं की गयी 11–12 वर्ष बाद भी अपील पेश नहीं की गयी है। उक्त सम्पूर्ण आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा 50 वर्षो से भी ज्यादा समय से निरन्तर लगातार चला आ रहा है इस दौरान भी रेस्पोडेन्ट ने कोई बेदखली या किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गयी। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 28–03–2023 निरस्त फरमाया किया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि प्रार्थी फूलचन्द बीमार (हार्ट की गंभीर बीमारी) हो गया था और बीमारी के कारण प्रार्थी उक्त निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी तथा बीमारी से उठने के पश्चात प्रार्थी ने उक्त निर्णय की जानकारी होने पर नकल प्राप्त की। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हमने अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रकियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट के कथनानुसार सजन बाई को भंवरिया बेटा देवा के 1/3 हिस्से पर खातेदार टीनेन्ट घोषित होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि रेस्पोडेंट कम 1 पूर सिंह निवासी माचलपुर डूंगरी की विवाहिता पत्नी है। अतः भंवरिया बेटा देवा की आराजी की खातेदार बनने की अधिकारी नहीं है। अपीलांट द्वारा यह कथन भी किया गया है कि हमें अधीनस्थ न्यायालय में तामील नहीं होने के कारण सुनवाई का मौका नहीं मिला। अपीलांट द्वारा यह कथन भी किया कि दिनांक 20.12.2012 के नामान्तरकरण की किसी भी प्रकार की अपील रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा नहीं की गई तथा अपीलांट का उक्त आराजी पर 50 वर्षों से भी ज्यादा समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है।

हमारे द्वारा बहस पर मनन किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। चूंकि अपील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतः अपील में कहे गये तथ्यों को प्रथम दृष्टया सिद्ध करने का भार अपीलांट पर है । लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे सजन बाई का किसी अन्य की विवाहिता पत्नी होना प्रथम दृष्टया प्रकट हो। हमारी राय में नामान्तरकरण एक फिस्कल कार्यवाही है जिसकी अपील करने या नहीं करने से खातेदार के हितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अपीलांट द्वारा 50 वर्ष से उनका कब्जा होने के समर्थन में भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलांट्स को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का अवसर नहीं मिलने के सम्बन्ध में तामील की स्थिति देखी गई। अधीनस्थ न्यायालय में वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज होने के पश्चात पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तत्पश्चात तामील पुनः करवायी गयी जिसमें अपीलांट प्रतिवादीगण के घर पर नहीं मिलने पर घर पर चस्पा कर गवाहों के मय पता हस्ताक्षर कराए गए, जो हमारी राय में समुचित तामील की श्रेणी में आती है। अतः अपीलांट द्वारा अपील के तथ्यों को प्रथम दृष्टया सिद्ध नहीं कर पाने के कारण अपील अपीलांट खारिज की जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.03.2023 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1– सरदारबाई पुत्री कंवरिया, आयु 80 साल, पत्नी सालगराम उर्फ नाथूराम, जाति गूर्जर, निवासी नयागांव, तहसील, अकलेरा, जिला झालावाड़
2– औंकारलाल पुत्र मोतीलाल, जाति गूर्जर, निवासी बावडीखेड़ा, तहसील, अकलेरा, जिला झालावाड़(राज0)
3– रामलाल पुत्र मोतीलाल, जाति गूर्जर, निवासी बावडीखेड़ा, तहसील, अकलेरा, जिला झालावाड़(राज0)
4– इन्द्र सिंह पुत्र मोतीलाल, जाति गूर्जर, निवासी बावड़ीखेड़ा, तहसील, अकलेरा, जिला झालावाड़(राज0)
5– बदाम बाई पुत्री मोतीलाल धर्म पत्नी चन्दन सिंह, जाति गूर्जर, निवासी रतनपुरा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज0)
6– गुलाबबाई पुत्री मोतीलाल पत्नी भगवान सिंह, जाति गूर्जर, निवासी बृजराजपुरा नयागांव, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज0)
7– फूलचन्द वल्द कान्हा, जाति गूर्जर, निवासी बावडीखेड़ा, तहसील, अकलेरा, जिला झालावाड़(राज0)
8– लाल सिंह वल्द कान्हा, जाति गूर्जर, निवासी बावडीखेड़ा, तहसील, अकलेरा, जिला झालावाड़(राज0)
9– घनश्याम वल्द कान्हा, जाति गूर्जर, निवासी बावडीखेड़ा, तहसील, अकलेरा, जिला झालावाड़(राज0)
10– नन्दूबाई पुत्री कान्हा, पत्नी देवीलाल, जाति गूर्जर, निवासी झन्टालिया, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज0)

.....अपीलांट

बनाम

1– सजनबाई उर्फ सज्जन बाई आयु 47 साल पत्नी विवाहिता पूर सिंह, निवासी गांव माचलपुर डूंगरी, तहसील जीरापुर हाल मुकाम मोरक्याकला, तहसील बकानी, जिला झालावाड़ (राज0)
– वाद पत्र के अनुसार बेवा भंवरिया गुर्जर पाटडीखेडा
2– सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा घाटोली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
3–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)

... रेस्पोडेंट

अपील नं. 2023/103 व नाराजगी डिकी अदालत – उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा
मु.द.नं 106/वाजदायर/2018 (2015/00072) निर्णय एवं डिकी दिनांक – 28.03.2023

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 29 माह 04 सन् 2024

हाजरी **श्री महेन्द्र कुमार जैन** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेंट **अनुपस्थित।**

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.03.2023 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 07 माह 05 सन् 2024 को जारी किया गया ।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(राज0)